



296



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 निगरानी R-2065-117/14

श्री मुकेश भार्गव का सिविल
द्वारा आज दि 8-7-14 को
प्रस्तुत

वका
ब्लॉक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. दुर्गा यादव पुत्र श्री कुन्दनलाल यादव
 2. सुरेश यादव पुत्र श्री कुन्दनलाल यादव
 3. बिहारी यादव पुत्र श्री कुन्दनलाल यादव
 4. जगदीश पुत्र श्री कुन्दनलाल यादव
- निवासीगण तिली वार्ड सागर तहसील व
जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

हरीचरण चौरसिया पुत्र बिहारीलाल
निवासी विन्द्रावन वार्ड, सागर तहसील व
जिला सागर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार सागर द्वारा प्र.कं. 56ए/2
2008-09 में पारित आदेश दिनांक 11.2.10 के विरुद्ध
म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2065-तीन/2014

जिला सागर

दुर्गा विरूद्ध हरीचरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार सागर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 55/ए-2/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 11-02-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>12-3-19</p>